समादेश याचिका संख्या–20520/2010, संजय कुमार सिंह बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक–27.07.2018 के आलोक में सकारण आदेश।

माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा समादेश याचिका संख्या–20520/2010, संजय कुमार सिंह बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक 27.07.2018 के आलोक में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, बिहार, पटना को समादेश याचिका के आवेदक के दावे के संबंध में सकारण आदेश पारित करने का निदेश है कि *"I find that the order dated 06.09.2010 is not sustainable, accordingly, the same is quashed. The matter is remanded to the Principal Secretary, Health Department to examine all the documents available on record, as is clear from the letter of the Respondent No. 5 dated 20.07.2011 and pass a reasoned and speaking order within a period of eight weeks from today."*

श्री संजय कुमार सिंह द्वारा समर्पित आवेदन पत्र में संलग्न नियुक्ति पत्र में सिविल सर्जन, भागलपुर के पत्रांक–812, दिनांक–25.02.1989 का उल्लेख है, और उक्त नियुक्ति पत्र के आधार पर की गयी सेवा और सेवा समाप्ति आदेश को पुनर्बहाल करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक से प्राप्त आवेदन की गहन जाँचोंपरान्त स्वास्थ्य निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक संख्या–640(11), दिनांक– 28.05.2010 द्वारा सिविल सर्जन, भागलपुर से श्री संजय कुमार सिंह के नियुक्ति एवं संबंधित अभिलेखों की माँग की गई। सिविल सर्जन, भागलपुर द्वारा प्रेषित पत्रांक–3798, दिनांक–14.08.2010 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि पत्रांक–812, दिनांक–25.02.1989 द्वारा श्री संजय कुमार सिंह के नाम से कोई भी नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं है, बल्कि संबंधित पत्रांक द्वारा श्री कामोद नारायण यादव के नाम से पत्र निर्गत किया गया है।

स्पष्टतः श्री संजय कुमार सिंह द्वारा संलग्न किया गया पत्रांक–812, दिनांक–25.02.1989 नियुक्ति पत्र फर्जी है एवं इस फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर उनके द्वारा कुष्ठ नियंत्रण इकाई नवगछिया में योगदान दिया गया। श्री सिंह का नियुक्ति पत्र के फर्जी होने की पुष्टि इस तथ्य से भी होता है कि डॉ0 सूचित प्रसाद, (सिविल सर्जन, भागलपुर) द्वारा 88–89 में नियुक्त कर्मचारियों की सूची अनुमंडलीय अस्पताल, नवगछिया द्वारा जारी किया गया जो श्री सिंह द्वारा Annex-5 के रूप में संलग्न किया गया है जिसके कॉलम–8 में श्री संजय कुमार सिंह, के नाम के आगे स्पष्ट रूप से अंकित है कि इनकी नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि नहीं हुई थी, जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त पत्र फर्जी था, तो सम्पुष्टि का प्रश्न ही नहीं उठता है।

2(m)
7/11/18

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि श्री सिंह द्वारा फर्जी तरीके से नियुक्ति पत्र बनाया गया जिसके आधार पर कुष्ठ नियंत्रण इकाई, नवगछिया में योगदान समर्पित किया गया।

अतः समरूप मामले में विभाग द्वारा निर्णय लिये जाने के संबंध में स्पष्ट करना है कि विभाग द्वारा किसी फर्जी नियुक्ति को वैध नहीं ठहराया गया है। समादेश याचिका संख्या–12687/2010 में पारित न्यायादेश दिनांक–10.07.2018 के आलोक में एक अलग सकारण आदेश पारित करते हुए समरूप मामले में याचिकाकर्ताओं का दावा विभाग द्वारा सकारण आदेश ज्ञापांक–1026(11), दिनांक–11.10.2018 द्वारा अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जा चुका है।

उक्त के आधार पर श्री सिंह के नियुक्ति पत्र फर्जी होने के कारण उनके द्वारा समर्पित अभ्यावेदन को निरस्त किया जाता है।

ह0/–

(संजय कुमार)
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–11/एल0(स्था0)–03/2018–1092 (11)स्वा० पटना, दिनांक– 05/11/2018

प्रतिलिपि :–असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर/प्रभारी पदाधिकारी, कुष्ठ नियंत्रण इकाई, नवगछिया, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– श्री संजय कुमार सिंह, पिता–श्री नारायण सिंह, ग्रा0–परियार, पो0–बाराहाट, था0–बाँका, जिला–बाँका को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्वास्थ्य विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

5/11/2018
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।